न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र सं. 129/2012 अनवान् खेमाराम बनाम् नत्थूराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.01.2020	**निर्णय** दिनांक :03.01.2020 पत्रावली वास्ते प्रार्थना–पत्र दि0 30.11.2018 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं 9(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। मृतक वादी खेमाराम पुत्र मघाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ के वारिसान प्रार्थीगण (1) ओमप्रकाश (2) सोहनलाल (3) सीता देवी (4) सावंताराम (5) फूसाराम (6) मूर्ति देवी (7) माया देवी पुत्री खेमाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 1 हरदासवाली बारानी, बीरमाना तहसील सूरतगढ़ के दिनांक 30.11.2018 को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश–22 नियम–3 व 9(2) सी. पी.सी. का प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी खेमाराम का देहावसान दिनांक 11.08.2018 को हो चुका है। मृतक वादी के जायज वारिस (1) ओमप्रकाश (2) सोहनलाल (3) सावताराम व (4) फूसाराम पि0 खेमाराम अकवाम् कुम्हार निवासी वार्ड सं. 15 व 16 हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ (5) सीता देवी (6) मूर्ति देवी (7) माया देवी पुत्रीयां खेमाराम पत्नि (5) श्री भागीरथ (6) रामलाल (7) लक्ष्मणराम अकवाम् कुम्हार निवासी हरदासवाली बारानी तहसील सूरतगढ़ है। हम वारिसान के अतिरिक्त वादी खेमाराम की एक वारिस सन्तो देवी पत्नि नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना है। इस प्रकार से मृतक वादी के कुल आठ जायज वारिस हैं। मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतियां प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण अनपढ़ लोग है कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं रखते है। आज सूरतगढ़ आने पर अभिभाषक द्वारा बताया गया कि वाद में आज की तारीख पेशी है किन्तु उन्हें पक्षकार पहले बनना चाहिये था। यद्यपि पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र दिये जाने का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु वादी अभी तक उपशमित ABET नहीं हुआ है अभी जेरकार है फिर भी कानून अनुसार वाद को उपशामित मानकर यह प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र के पेश किया गया। जिसे स्वीकार कर प्रार्थीगण को मृतक वादी के स्थान पर वादीगण और सन्तो देवी जो प्रार्थीगण के साथ नहीं है उसे प्रतिवादी के रुप में पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये जावे। प्रार्थीगण ओमप्रकाश वगैरहा के उक्त प्रार्थना–पत्रों का जवाब मय शपथ–पत्र व फार्म सं. 3 के साथ प्रार्थीगण की बहन का शपथ–पत्र पेश कर अप्रार्थी प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया कि वादी खेमाराम के द्वारा अकेले ही पेश किया गया था जो कि स्वतः ही उपशामित हो गया है। दिनांक 11.08.2018 को वादी का स्वर्गवास हो गया। प्रार्थीगण के अतिरिक्त मुझ प्रतिवादी की पत्नि व मैं हरिसिंहंपुरा के ही निवासी है प्रार्थीगण द्वारा बीरमाना के निवासी होना गलत अंकित किया है। प्रार्थीगण खेमाराम के पुत्रगण भी हरिसिंहपुरा के ही निवासी है ना कि हरदासवाली बारानी के है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अनपढ़ होने के तथ्य जानबूझकर गलत अंकित किये गये है और झूठा शपथ–पत्र पेश किया गया है। मुझ अप्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थीगण रिश्ते में साले और सालियां व मेरी पत्नि के भाई व बहने है जो कि पूर्ण रुप से शिक्षित हैं। इनकी मेरे विवाह के पश्चात जेरवाद भूमि के सैटलमेंट के सैटलमेंट से लेकर मुझसे कभी नहीं बनती थी। इसी कारण से प्रार्थीगण मेरे सालों के द्वारा उक्त अनवान का जेरवाद मेरे स्व0 ससुर वादी की तरफ से जबरन पेश करवाया गया था। प्रार्थीगण द्वारा ही उक्त अनवान के वाद–पत्र मेरे शुरु से ही पिता की तरफ से स्वयं आकर पैरवी की जाती रही है। मुझ अप्रार्थी से मेरे ससुर द्वारा समझौता करने की कई बार पंचायते की गई लेकिन प्रार्थीगण समझौता करने को कतई तैयार नहीं थे। मुझ प्रतिवादी और प्रार्थीगण के घर बिल्कुल पास–पास व एक ही वार्ड में एक गली व एक ही ग्राम में स्थित है। अप्रार्थी के ससुर स्वयं कहते थे कि मैं लड़ना नहीं चाहता मेरे बेटे और बेटिया प्रार्थीगण नहीं मान रहे है। इस बारे में ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों, समाज के और सगे संबंधियों द्वारा पंचायत करने पर भी प्रार्थीगण नहीं माने थे। यह वाद वर्षो से प्रार्थीगण द्वारा ही लड़ा जाता आ रहा है। प्रार्थीगण हर तारीख पेशी पर हाजिर आते रहे है। अदालत द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र का निर्णय सुनाये जाने पर प्रार्थीगण/मेरे सालों के द्वारा अप्रार्थी के साथ हाथापाई की गई थी। जिसके बारे में तहसील परिसर में बैठने वाले वकीलों और वादी के वकील को भी पूर्ण रुप से जानकारी है। इसी अदालत से पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री रामचन्द्र पोटलिया के समक्ष स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुने जाते समय प्रार्थीगण/मेरे सालों के द्वारा गाली–गलौच अदालत में ही गई थी। इस पर अदालत द्वारा इनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाये जाने का कहे जाने पर इन्होंने माफी मांगकर अपना बचाव किया	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

था। इसके साक्षी भी अप्रार्थी के पास मौजूद है। प्रार्थीगण को वादी के स्वर्ग सिधारने से पूर्व और पश्चात में भी इन्हें पूरी जानकारी थी। इनके द्वारा वाद–पत्र उपशामित होने के पश्चात अदालत को भ्रमित कर अनुतोष प्राप्त करने की गर्ज से गलत ब्यानी करते हुये अपने प्रार्थना–पत्र व धारा–5 मियाद अधिनियम और झूठे शपथ–पत्र पेश किये गये है। प्रार्थीगण धारा–5 मिाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी के समर्थन में प्रार्थीगण की बहन सन्तो देवी द्वारा शपथ–पत्र पेश किया है कि प्रार्थीगण का जमीन को लेकर अप्रार्थी के साथ झगड़ा चल रहा है जिसकी उन्हें पूर्ण रुप से जानकारी है। इस कारण से भी प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर केवल मात्र विलम्ब कर दावा को लम्बा खींचने और निर्णय ना होने देने की गर्ज से न्यायालय को भ्रमित कर अनुतोष प्राप्त करने की गर्ज से अपना यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण सीधे–सादे अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जिन्हें कानूनी पेचिदगियों की जानकारी ना होने के कारण जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र और प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ के प्रस्तुत किया गया है। इसलिये प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RBJ 2007 P. No. 498 Rev.Board Ajmer, DNJ 2018(2) P. No.411 Raj. High Court, RBJ-2008 P. No. 403 Rev.Board Ajmer RBJ-2004 P. No. 165 Rev. Board Ajmer P. No. 623 S.C.RBJ 2006 P. No. 623 Rev. Board Ajmer, RRT 2019(1) P. No. 668 Rev. Board Ajmer, C.J. (Civil) Raj 2018 P. No. 659 H.C. पेश की गई। वकील अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र मय धारा–5 मियाद अधिनियम व शपथ–पत्र और प्रार्थीगण की बहन सन्तो द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र जानबूझकर अदालत के समझ गलत तथ्य अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। इनके द्वारा जो शपथ–पत्र पेश किये गये है उनका खण्डन भी अप्रार्थी द्वारा काउन्टर शपथ–पत्र द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त वाद–पत्र में स्वयं हाजिर होकर कभी भी पैरवी नहीं की गई। प्रार्थीगण द्वारा ही पैरवी शुरु से लेकर आज तक की जाती आ रही है। वादी का दिनांक 11.08.2018 को स्वर्गवास हो गया था। जिनके द्वारा 90 दिवस के मध्य अपना प्रार्थना–पत्र जानबूझकर केवल मात्र वाद–पत्र में विलम्ब करने की गर्ज से पेश नहीं किया गया। प्रार्थीगण स्वयं पूर्णतया शिक्षित है। ये ग्राम हरिसिंहपुरा में ही रहते है और अप्रार्थी भी हरिसिंहपुरा में दोनों पक्षकारान प्रार्थीगण एक ही गली में रहते है। इनकी अप्रार्थी के साथ नहीं बनती है इसलिये अप्रार्थी को अपने घर सुख दुख में भी प्रार्थीगण नहीं आने जाने देते है। प्रार्थीगण की जेरवाद भूमि को लेकर आपस में नहीं बनने के कारण वे अप्रार्थी को जानबूझकर परेशान करते रहते है। उक्त अनवान का वाद–पत्र अकेले वादी खेमाराम के द्वारा ही पेश किया गया था जो कि स्वतः ही पूर्ण का पूर्ण उपशमित हो गया है। प्रार्थीगण नेकनियत नहीं है। इनके द्वारा जानबूझकर गलत ब्यानी कर अपना प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो कि मय कॉस्ट निरस्त फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी के द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय CJ-2017(2) Civil R.No. 480 S.C.,DNJ 2010 P. No. 1045 S.C. DNJ 2012(3) Raj. 1715 Raj. High Court, RBJ 2017 P.No. 386 S.C. पेश किये गये।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने और प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अनवान का वाद पत्र प्रार्थीगण के पिता खेमाराम के द्वारा अकेले ही इस न्यायालय के समक्ष जेरवाद भूमि की घोषणा बाबत दिनांक 13.06.2012 को पेश किया गया। जिनका दिनांक 11.08.2018 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण के द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र कायम मुकाम व उपशमन निरस्ती का इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2018 को जो कि 90 दिवस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात पेश किया गया है। अकेले वादी के स्वर्ग सिधारने के पश्चात वाद पत्र स्वतः ही उपशमित हो गया है। प्रार्थीगण अनपढ़ अशिक्षित ग्रामीण होना साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब, शपथ–पत्र और प्रार्थीगण की बहस के प्रस्तुत शपथ–पत्र द्वारा किया जा चुका है। दोनों ही पक्षकार आपस में रिश्तेदार है जो कि एक ही ग्राम हरिसिंहपुरा की एक ही गली में निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण जेरवाद भूमि को लेकर अपने पिता की तरफ से पैरवी करते आ रहे है। इन्हीं के द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस के समक्ष अदालत में

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

गाली गलौच किये जाने के इन तथ्यों का खण्डन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र पेशकर नहीं किया गया। इस कारण से अप्रार्थी और उसके समर्थन में प्रार्थीगण की बहन द्वारा पेश किये गये शपथ–पत्र पर पूर्ण से सही एवं विश्वसनीय प्रतीत होने से विश्वास किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र वाद–पत्र के उपशमन को निरस्त करवाने की गर्ज से अपना प्रार्थना–पत्र इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में धारा–5 मियाद अधिनियम व शपथ–पत्र सहित पेश किया गया है। प्रार्थीगण जानबूझकर नेकनियत व स्वच्छ हाथों से अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में स्वयं के पते को भी जानबूझकर हरिसिंहपुरा के स्थान पर हरदासवाली का निवासी होना अंकित किया है जो कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान–पत्र के अवलोकन से भी साबित है जो पत्रावली के अवलोकन से भी साबित है। प्रार्थना–पत्र आदेश–22 नियम–3 व 9 के प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम व शपथ–पत्र का लाभ तभी प्राप्त कर सकते है जब वे नेकनीयत हो। जो कारण विलम्ब क्षमा करवाने के बताये गये कारण से अदालत को संतुष्ट करने में पूर्ण रुप से असफल रहे। जो न्याय निर्णय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये वे इस प्रार्थना–पत्र पर चस्पा नहीं होते है। क्योंकि वे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में बताये गये तथ्यों को साबित करने में असफल रहे। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय निर्णय CJ 2017(2) S.C. P. No. 480, DNJ 2010 S.C. P. No. 1045,DNJ 2012(3) Raj. H.C. P. No. 1715,RBJ-2017 P.No. 386 S.C. इस प्रकरण में पूर्ण रुप से चस्पा होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र आदेश–22 नियम–3 व 9(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निरस्त किया जाता है। आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा यह उभय पक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुना गया। पत्रावली बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

(मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.07 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: